

22/6/18 पकावली आज ऊच्च कोर्ट-बंगलौरा में पेश  
है। प्रकरण से संबंधित वाद पक्ष का विस्तार  
हो चुका है। प्रार्थना पक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा  
का कोई आदेश नहीं है। अतः प्रार्थना पक्ष  
अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता  
है। पकावली फौजदारी सुमार होकर 7-8-18  
को हो तथा पकावली दायित्व 6-12-18 हो।

उपसभ अधिकारी  
पकावली नि